उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/7/24

दिनांक 16.07.2024

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 07/2024

6.07. गाड़ियों के परिचालन पर प्रभाव डालने वाली संभावित दशाओं की रिपोर्ट नियत्रंक (कन्ट्रोलर) या केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल ऑपरेटर) को देनाः–

(1) यदि किसी विदितस्थिति अथवा असाधारण परिस्थितियों का गाड़ियों के संरक्षित और समुचित परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभवना है तो लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन इसकी सूचना नियंत्रक या केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल ऑपरेटर) को देंगे।

(2) नियंत्रण या केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल ऑपरेटर) ऐसी खराबी या दोष की जानकारी मिलने पर, उपस्कर के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार रेल सेवक को और अन्य संबंधित रेल सेवकों को इसकी सूचना देगा।

स.नि.6.07(1) लोको पायलट और/या ट्रेन मैनेजर को ट्रेक में किसी असामान्य स्थिति के बारे में जानकारी होने पर, जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है और वह समझता है कि ट्रेक का वह भाग जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है, बाद वाली गाड़ियों के सुरक्षित संचलन के लिए हानिकारक है तो वह निम्न कार्यवाही करेगाः–

(क) ब्लॉक सेक्शन को साफ किये बिना अपनी गाड़ी को अगले ब्लॉक स्टेशन पर रोक दे और उपलब्ध दूरसंचार साधन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित करे कि इकहरी लाइन पर प्रभावित भाग के दोनों ओर से और दोहरी लाइन पर पिछले स्टेशन से, कोई भी गाड़ी न भेजें। आईबीएस और स्वचल ब्लॉक पद्धति के मामले में, लोको पायलट स्टेशन मास्टर तथा पिछले स्टेशन को पहले ही छोड़ चुकी गाड़ी के लोको पायलट को उपलब्ध दूरसंचार साधन के माध्यम से गाड़ियों के संचालन को रोकने के लिए सूचित करेगा।

(ख) यह स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही वह आगे बढ़े कि स्टेशन मास्टर स्पष्ट रूप से समझ चुका है कि जब तक घटना का विवरण दर्शाता हुआ लिखित मीमो लोको पायलट से स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक लाइन पर किसी अगले संचलन की अनुमति न दे। वह स्टेशन मास्टर को लिखित मीमो सौंपने के लिए दुबारा स्टेशन पर सुविधाजनक स्थान पर रुकेगा।

(ग) ऐसा मीमो प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर, ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ), सहायक इंजीनियर, मण्डल इंजीनियर, मुख्य नियंत्रक और मण्डल परिचालन प्रवन्धक को संबोधित संदेश जारी करेगा।

(घ) रेल अनुरक्षण मशीन/टावर वैगन/लाइट इंजन या उनकी अनुपस्थिति में एक गाड़ी के द्वारा, जिसमें इंजीनियरिंग विभाग का एक अधिकारी इस आशय के सतर्कता आदेश के साथ हो कि वह ट्रेक के अपेक्षित भाग के पास पर्याप्त दूरी पर एकदम रुके, भेजने की व्यवस्था करे। साथ में चल रहा इंजीनियरिंग अधिकारी ट्रेक का निरीक्षण करेगा और ट्रेक गाड़ी के लिए सुरक्षित है, यह संतुष्ट होने के बाद ही कि गाड़ी को गुजरने की अनुमति देगा। ट्रेक की स्थिति और कोई लगाया जाने वाला गति प्रतिबंध के बारे में व्यक्तिगत रूप से या लिखित मीमो द्वारा जो लोको पायलट के माध्यम से भेजी जा सकती है, स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

(ड.) इंजीनियरिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में गाड़ी को सतर्कता आदेश के साथ, लोको पायलट को यह निर्देश देते हुए रवाना किया जायेगा कि वह प्रभावित कि.मी. से पहले एकदम रुक जाये तथा रेलपथ की स्थिति से स्वयं संतुष्ट होने के बाद गाड़ी को 10 कि.मी.प्र.घं. की गति से पास कराये या यदि वह गाड़ी को पास कराने में लाइन को असुरक्षित पाता है तो गाड़ी को उस स्थिति में पिछले स्टेशन पर लौटा ले जाये। यदि लोको पायलट किसी संदेहास्पद स्थिति का पता लगाने में असमर्थ रहता है, उस स्थिति में इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी के द्वारा लाइन सुरक्षित प्रमाणपत्र दिये जाने तक बाद की गाड़ियाँ 10 कि.मी.प्र.घं. की प्रतिबंधित गति से पास करायेगा।

(च) यदि स्थिति की लोको पायलट द्वारा पूर्व में दी गयी रिपोर्ट के अनुसार पुष्टि हो जाती है, तो इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किये जाने तक, किसी भी गाड़ी के संचलन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट:— यदि अपनी गाड़ी पर कार्य करते समय गाड़ी के ट्रेन मैनेजर को ट्रेक पर किसी असामान्य घटना का आभास होता है तो उसे वॉकी—टॉकी या ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट के मध्य उपलब्ध संचार साधन के माध्यम से उसकी गाड़ी के लोको पायलट को घटना के बारे में सूचित करना चाहिये। जिसके बाद लोको पायलट सहायक नियम 6.07(1)(क) में वर्णित अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट से सम्पर्क करने में असमर्थ रहता है, तब उसे गाड़ी रोकने की कार्यवाही करनी चाहिये और लोको पायलट को सूचित करना चाहिये।

स.नि. 6.07(2) जैसे ही ट्रेक, पुल या अन्य नियत संरथापन की तोड़फोड़ या तोड़फोड़ की संभावना, बम ब्लास्ट विस्फोट आदि की सूचना प्राप्त होती है तो स्टेशन मास्टर जिसे इसकी सूचना प्राप्त हुई है, प्रभावित ब्लॉक खण्ड तथा दोहरी/बहुल लाइन खण्डों की पास वाली लाइनों पर गाड़ियों के संचालन को रोक देगा और खण्ड नियंत्रक के साथ परामर्श करके सहायक नियम 6.07(1)(घ) के अनुसार कार्यवाही करेगा, इसके सिवाय गाड़ियों के संचलन के लिए लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल रेल अनुरक्षण मशीन/टॉवर वैगन/लाइट इंजन को भेजा जायेगा।

स.नि.6.07(3) यदि लोको पायलट और/या ट्रेन मैनेजर, लाइन के नजदीक की ट्रेक पर या उसके नजदीक, जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है, कोई रुकावट या कोई अन्य असुरक्षित स्थिति महसूस करता है तथा जो उसकी राय में सुरक्षित गाड़ी संचलन के लिए हानिकारक है तो वह निम्नलिखित सुधारात्मक कार्यवाही करेगा—

(क) अपने लोको की फ्लेशर लाइट का स्विच तुरन्त ऑन कर दे।

(ख) संबंधित स्टेशन मास्टरों/नियंत्रक को उपलब्ध संचार साधनों के माध्यम से सूचित करे और साथ साथ

(ग) अपनी गाड़ी को रोक दे और सामान्य नियम 3.62 के अनुसार लाइन का बचाव करने के लिए खतरे के हाथ सिगनलों के साथ आगे बढ़े।

(घ) तत्पश्चात् फलेशर लाइट को ऑन रखते हुए सावधानीपूर्वक अगले स्टेशन के लिए यात्रा जारी रखेगा।

(ड.) वॉकी टॉकी या अन्य उपलब्ध संचार साधन के द्वारा सूचित करके तथा खतरे का हाथ सिगनल का प्रदर्शन करके प्रभावित स्थान पर आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहे।

(च) अगले स्टेशन पर आने पर वह घटना के बारे में लिखित मीमो के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

(छ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा सहायक नियम 6.07(1)(ग) से (च) के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

16/7/24
प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिः—

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :—अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर— को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी., मु.सि.व दूर सं.इंजी., प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.— को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव— अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक के सचिव— महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।